फाइल सं0 6/7/एनसीएससी/2010-समन्वय प्रको-ठ
भारत सरकार
रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 18 नवम्बर, 2010

वि-यः माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कक्ष में दिनांक 15-11-2010 को हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

मानीय अध्यक्ष, रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कक्ष में आयोग की दिनांक 15-11-2010 को 3.00 बजे अपराह्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है ।

2. यह रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(एस.एन. मीणा)
अवर सचिव(प्रशा.)

1. डा. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 **दिन के भीतर** कार्रवाई करें :-

1. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक (प्रशा.)
2. श्री एस. केशवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
3. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा.)
4. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव (एपीसीआर)
5. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)

(एस.एन. मीणा)
अवर सचिव(प्रशा.)

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कक्ष में दिनांक 15–11–2010 को हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

माननीय अध्यक्ष, रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कक्ष में आयोग की दिनांक़ 15-11-2010 को 3.00 बजे अपराह्न बैठक हुई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया:-

1. सभी राज्यों में एससीपी/एससीएसपी के अधीन चल रही सभी योजनाओं की संवीक्षा करना । इस संबंध में सभी कार्यालयों को कार्रवाई करने के अनुदेश जारी किए जाएं । (**कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू**)

2. पुलिस स्टेशनों पर स्वत: ही अत्याचार से संबंधित मामलों को दर्ज किया जाना चाहिए । इस संबंध में एकरूपता सुनिश्चित की जानी चाहिए **।** (**कार्रवाई: एपीसीआर**)

3. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बड़े अत्याचारों के मामले में मुख्य कार्यालयों में सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आयोग अत्याचार के घटनास्थल का दौरा करते हुए तुरन्त आवश्यक कार्रवाई कर सके । (**कार्रवाई: एपीसीआर**)

4. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों से संबंधित पीड़ितों को प्रदान की गई राहत का मॉनीटरन किया जाना चाहिए । राहत राशि की मात्रा को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है । (**कार्रवाई: एपीसीआर**)

5. यह ज्ञात हुआ है कि अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर नहीं दी जाती है । जहां तक कि छात्रवृत्ति का संवितरण करने में 2-3 वर्षों तक का विलम्ब हो जाता है जिसके कारण छात्र स्कूल/कॉलेज छोड़ जाते हैं और उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सभी राज्य कार्यालयों को छात्रवृत्तियों के संवितरण की निगरानी की जानी चाहिए । (**कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू**)

6. हॉस्टल योजनाओं की पूरी तरह से जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है । अधिक संख्या में हॉस्टल खोलने और विद्यमान हॉस्टलों के रख-रखाव और प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । (**कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू**)

7. कोचिंग केन्द्रों- अनुसूचित जाति के छात्रों को बेहतर कोचिंग दी जानी चाहिए ताकि उनकी सफलता की दर बढ़ सके । ऐसे कोचिंग केन्द्रों में अंग्रेज़ी बोलने के पाठ्यक्रम अधिक संख्या में भी होने चाहिएं ताकि अनुसूचित जाति के युवाओं का उत्साह बढ़े और वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें । (**कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू**)

8. सेवाओं के सभी क, ख, ग और घ समूहों (सीधी भर्ती और पदोन्नति) में आरक्षण का सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए । सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से आंकड़ों को प्राप्त किया जाना चाहिए । इस संबंध में बैकलॉग रिक्तियों की स्थिति को जानने और इन रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । (**कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू**)

9. निजी क्षेत्रों और न्याय पालिका में आरक्षण दिया जाना चाहिए । इस मुद्दे को कार्यसूची की मद बनाया जाना चाहिए । (**कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू**)

10. अनुसूचित जातियों से संबंधित कुछ विशिष्ट मुद्दों पर कुछ अनुसूचित जातियों के सांसदों, गैर-सरकारी संगठनों तथा सेवा संगठनों को इस आयोग के माननीय सदस्यों/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष की अध्यक्षता में उप समितियां बनाई जानी चाहिएं । इनमें आरक्षण और रोज़गार, एससीपी/एससीए, नागरिक अधिकार संरक्षण/अत्याचार निवारण अधिनियम, शिक्षा और छात्रवृत्ति, भूमि वितरण, महिला और बाल विषय शामिल हैं । (**कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू/एपीसीआर/ईएसडीडब्ल्यू**)

11. प्रत्येक राज्य में आयोग को कुछ गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि से सम्पर्क करके कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि अत्याचारों के मामले में वे राज्य कार्यालय और मुख्यालय को तुरन्त सूचना भेज दें । अन्तोगत्वा प्रत्येक जिले में हमारे पास कुछ स्वैच्छिक संगठन होने चाहिएं जो आयोग मुख्यालय और राज्य कार्यालयों में अत्याचारों के मामले से संबंधित सूचना देंगे । (**कार्रवाई: एपीसीआर**)

12. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सभी राज्य कार्यालयों में हेल्प लाईन-टोल फ्री नम्बर का संस्थापन किया जाना चाहिए । (**कार्रवाई: सी.सैल**)

13. कम्प्यूट्रीकृत और अपलिंकिंग किए जाने के विषय को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के साथ उठाया जाना चाहिए । (**कार्रवाई: सी.सैल**)

14. आयोग मुख्यालय के आधुनिकीकरण किए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए । (**कार्रवाई: सामान्य प्रशासन**)